एक दशक का हिसाब किताब !

कृषि एवं किसान

रिपोर्ट कार्ड 2014-24

लोकतंत्र का मतलब यह है कि हम सरकार के दावों और उसके वादों के आधार पर उससे जवाबदेही माँगें. लेकिन हाल के वर्षों में सबसे बड़ा नुक़सान यह हुआ है कि जवाबदेही का विचार ही ख़त्म हो गया है। मीडिया में बैठे फूट डालने वाले और उनके अंधभक्ति से भरे शोर की वजह से लोग सच्चाई भूल जा रहे हैं। यह रिपोर्ट कार्ड फिनान्शियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया की एक सीरीज़ का हिस्सा है। यह एक निर्णायक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा अपने प्रदर्शन के कुछ दावों और उनकी सच्चाई को देखने और रेखांकित करने की कोशिश की गई है। इन रिपोर्टों में वित्तीय और आर्थिक नजरियों से विभिन्न सेक्टरों को देखा गया है।

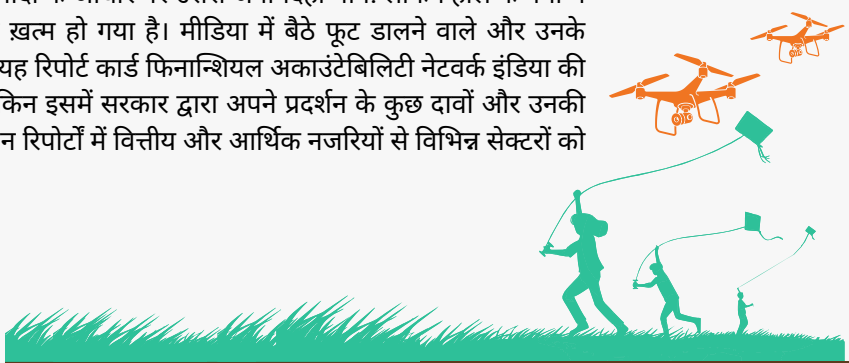

फाइनेंशिअल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया- फैन इंडिया

दावा 1:
किसानों की आमदनी दोगुनी होगी

2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से आकर्षक दावा किया था कि उनकी उपज को कि उनकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ख़रीदा जाएगा, जो C2+50% के सूत्र के मुताबिक उत्पादन की कुल लागत के कम से कम डेढ़ गुनी दर पर होगा। स्वामीनाथन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि उत्पादन की लागत के औसत से एमएसपी को बढ़ा कर कम से कम 50% किया जाए। इसको C2+50% कहा गया।

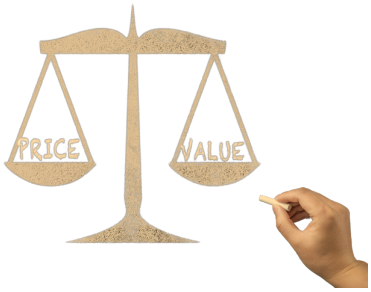

28 फ़रवरी 2016 को केंद्रीय बजट की पूर्वसंध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 'किसानों की आमदनी दोगुनी' करने का एक और वादा किया।

मई 2017 में अमित शाह ने दावा किया कि सत्ता में आने के तीन वर्षों के भीतर 2014 के चुनावी वादे क़रीब क़रीब पूरे हो गए थे और अगर लागत के हिसाब में से ज़मीन की क़ीमत को हटा दिया जाए तो एमएसपी उत्पादन की लागत का 43% अधिक थी।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवई समिति का गठन 13 अप्रैल 2016 को किया गया। इसने किसानों की आमदनी 8,058 प्रति माह से बढ़ा कर 22610 प्रति माह करने की बात की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि आय वृद्धि दर का 10.4% सालाना होना ज़रूरी होगा।

भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग (ईआरडी) की एक रिपोर्ट में घोषणा की गई है कि कुछ राज्यों में कुछ फसलों के लिए किसानों की आय वित्त वर्ष 2018 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में दोगुनी हो गई है। जैसे महाराष्ट्र में सोयाबीन और गन्ना, कर्नाटक में कपास और धान, राजस्थान में गेहूं और गुजरात में मूंगफली और कपास।

किसानों की आय 'दोगुनी' करने की हकीकत

हालाँकि, आय दोगुनी करने की उच्च उम्मीदें तब टूट गईं जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया कि उसके वादे के अनुसार एमएसपी निर्धारित करना संभव नहीं होगा क्योंकि इस तरह की वृद्धि से बाजार विकृत हो जाएगा।

दलवई समिति ने किसानों को तकनीकी या आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोई सुसंगत रणनीति प्रदान नहीं की जो उपज और आय बढ़ाने में मदद करती। 14 खंडों की विशाल रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

2018 में नीति आयोग द्वारा बनाई गई विशेष टास्क फोर्स ने कृषि और संबंधित आर्थिक गतिविधियों में निजी कंपनियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करने के एक स्पष्ट प्रयास में केवल चुनिंदा निजी कंपनियों से बात की। इसका किसानों से कोई लेना-देना नहीं था.

2021 में जारी कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण के 77वें दौर से पता चलता है कि 2018-19 में कृषक परिवारों की अनुमानित मासिक आय नाममात्र के हिसाब से केवल 10,218 रुपये प्रति माह थी। यह 22,610 रुपये प्रति माह के अनुमानित लक्ष्य के कहीं भी करीब नहीं है।

यहां तक कि अगर कोई एसबीआई अध्ययन में शामिल बेहद संदिग्ध कार्यप्रणाली (नमूना आकार, किसानों का कौन सा वर्ग, लागत गणना, भूमिहीन किरायेदारों को बाहर क्यों रखा गया या केवल इन राज्यों को क्यों चुना गया) को अलग रख दे, तो भी यह समझना चाहिए कि एमएसपी ज्यादातर काल्पनिक है अधिकांश मामलों में कोई सुनिश्चित खरीद नहीं है और इसलिए कोई प्रभावी लाभ नहीं है। उदाहरण के लिए, 2021-22 में कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में खरीद सोयाबीन के लिए 0% और मूंगफली के लिए 2.05% से कम थी। कर्नाटक में धान और कपास तथा राजस्थान में गेहूं की खरीद का स्तर बहुत ही नगण्य है। हालाँकि दावों को मीडिया में खूब कवरेज मिली, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई मतलब नहीं था।

7 जून, 2023 को घोषित खरीफ सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी न तो उचित है और न ही लाभकारी है। किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय, अनुचित एमएसपी के साथ बढ़ती इनपुट लागत किसानों के बड़े हिस्से, विशेष रूप से छोटे, सीमांत, मध्यम किसानों और किरायेदारों को ऋणग्रस्तता में धकेल रही है। लागत का सीएसीपी अनुमान बढ़ती इनपुट लागत या मुद्रास्फीति के कारक को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखने में विफल रहता है।

सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। लेकिन उस वादे पर पूर्ण चुप्पी थी। प्रमुख योजनाओं में से एक बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन (एमआईएस-पीएसएस,) जो न्यूनतम समर्थन मूल्य-आधारित खरीद संचालन सुनिश्चित करती है, में पिछले दो वर्षों में देश में भारी कटौती देखी गई। बजट अनुमान के अनुसार, योजना का आवंटन 2022-23 में 1,500 करोड़ से घटकर क्रमशः 2023-24 और 2024-25 में 0.01 करोड़ हो गया।

दावा 2:

किसान आत्महत्याओं और ऋणग्रस्तता को कम करेंगे

2014 में अपने चुनाव प्रचार में मोदी ने कहा था, "हमारे किसानों को फांसी के फंदे पर नहीं धकेला जाना चाहिए, हमारे किसानों को भारी कर्ज नहीं लेना चाहिए, उन्हें साहूकार के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। क्या यह सरकार और बैंकों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे किसानों को ऋण दें? और अगर किसानों की स्थिति में सुधार होता है तो इस से न केवल उनके लिए सुधार होता है, बल्कि इस से खेतों में काम करने वाले कई लोगों को रोजगार मिलता है।"

ऋणग्रस्तता के संदर्भ में, सरकार का दावा है कि ऋणग्रस्त किसानों का प्रतिशत 2013 में 52% से घटकर 2019 में 50.2% हो गया है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि मोदी राज में किसी भी किसान की आत्महत्या से मौत नहीं हुई है. "क्या विपक्ष ने पिछले आठ वर्षों में किसानों की आत्महत्या के बारे में कभी एक भी चर्चा की?" उन्होंने पूछा, "अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि किसान आत्महत्या से नहीं मर रहे हैं।"

किसानों की आत्महत्या और ऋणग्रस्तता को 'कम करने' की वास्तविकता

हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में **2014 से 2022 तक 1,00,474 किसानों ने आत्महत्या** की। यह इन **नौ वर्षों में प्रति दिन लगभग 30 आत्महत्याओं के बराबर** है। खोखली बयानबाजी, विफल योजनाएं और अपर्याप्त आवंटन हमारे देश के "अन्नदाताओं" को गहरी निराशा में धकेल रहे हैं। इस शासन के तहत किसान आत्महत्याओं में भयावह वृद्धि प्रणालीगत उपेक्षा का लक्षण है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुल किसान आत्महत्याएं 10,281 से बढ़कर 11,290 हो गईं। इसके भीतर, कृषि श्रमिकों के बीच आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि 4,324 से 6,083 यानी 41% तक अधिक तीव्र प्रतीत होती है। विदर्भ और मराठवाड़ा के दुर्भाग्यशाली क्षेत्रों के साथ महाराष्ट्र में एक बार फिर सबसे खराब स्थिति देखी गई।

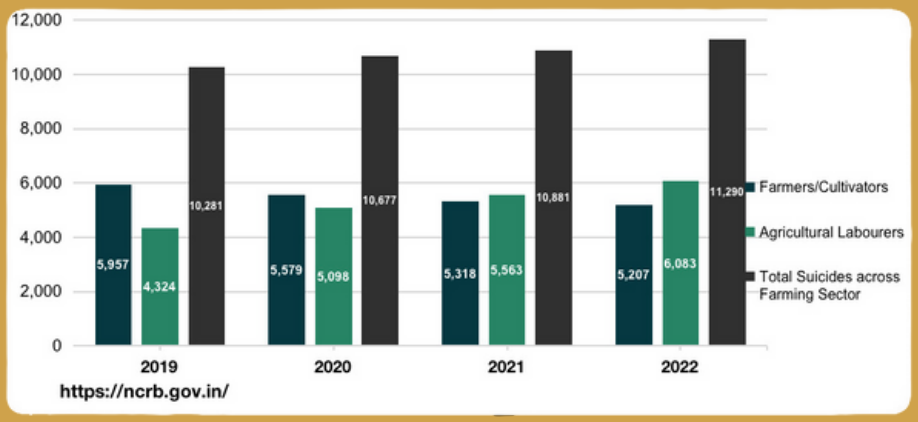

Source: MOSPI, Situation Assessment Survey of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households of various years

2013 से 2019 के बीच ऋणग्रस्त किसानों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यानी 902 लाख से 930 लाख तक, साथ ही बकाया ऋण की औसत राशि में 2013 की राशि से लगभग 1.6 गुना की वृद्धि हुई है।

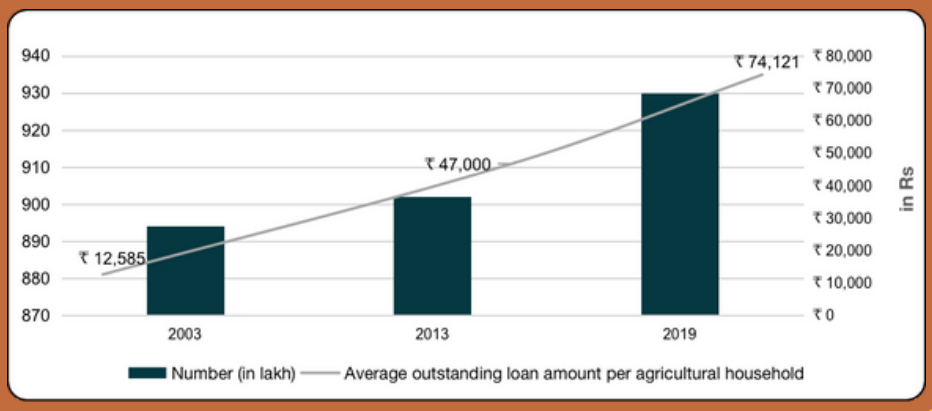

स्रोत: एमओएसपीआई, विभिन्न वर्षों के कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि और पशुधन का स्थिति आकलन सर्वेक्षण

दावा 3:

कृषि में अधिक ध्यान एवं निवेश

2014 के चुनाव घोषणापत्र में भाजपा ने भारतीय खाद्य निगम में आमूल-चूल परिवर्तन करने, किसानों तक वास्तविक समय डेटा प्रसारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने, कृषि की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कदम उठाने और कृषि बीमा योजना लागू करने की बात कही थी। अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की देखभाल का भी वादा किया था।

2014-15 और 2018-19 के बीच पांच वर्षों के दौरान योजनाओं के अन्य प्रमुख वादे या लॉन्च इस प्रकार थे:

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**
- **2022-23 (डीसीआर 2018) तक कृषि निर्यात को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का वादा, बाद में इसे अप्रैल 2018 (एमओसी 2018) में 2022-23 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने के वादे के साथ बदल दिया गया।**
- **2015 के घोषणापत्र में खराब होने वाले कृषि उत्पादों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि-रेल नेटवर्क स्थापित करने की बात कही गई थी।**
- **छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का वादा**

कृषि में निवेश एवं ऋण की वास्तविकता

कुल बजट व्यय के संबंध में कृषि पर सार्वजनिक व्यय मोदी 2.0 कार्यकाल में लगातार गिर रहा है। जैसा कि किसानों कल्याण के लिए आंवटित संसाधनों में आयी कमी को देख कर पता लगता है। 2014-15 और 2021-22 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर, कृषि श्रम सहित, प्रति वर्ष 1% से नीचे रही है। इसका असर चिंताजनक रूप से घटती ग्रामीण मांग में स्पष्ट है, जो एफएमसीजी बिक्री का लगभग 36% है।

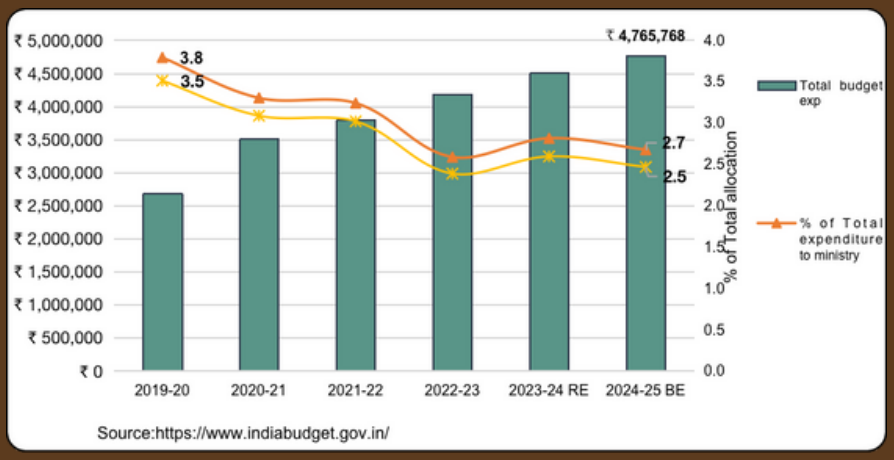

स्रोत: केंद्र सरकार की अनुदान मांग, वार्षिक बजट। नोट*: वित्तीय वर्ष *2019-20* से वित्तीय वर्ष *2021-22* तक वास्तविक अनुमान शामिल हैं।

आधार-आधारित भुगतान प्रणालियों सहित भेदभाव पूर्ण उपायों ने 57% श्रमिकों को प्रभावित किया है, और योजना के 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य के बावजूद, केवल 3% श्रमिक इसका लाभ उठा पाएं हैं , जिससे प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए आवंटन, जो संकट के ऐसे समय में जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखी जा रही है। यह वित्त वर्ष 2014-15 में कुल बजट के 1.85% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में मात्र 1.33% रह गया, जो की हाल के वर्षों में सबसे कम है।2023-24 के 60,000 करोड़ रुपये के आवंटन में 2022-23 की तुलना में 33% की भारी कमी दर्ज की गई और यह कुल सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.198% था। 2023-24 के संशोधित अनुमान में यह 86,000 रुपये था और 2024-25 के अनुमान में इसे नहीं बढ़ाया गया है. इसके अलावा केवल पश्चिम बंगाल राज्य पर केंद्र सरकार का "निर्देशों का अनुपालन न करने" के आधार पर 7000 करोड़ रुपये बकाया है। इस रकम में 2800 करोड़ रुपये की वेतन देनदारियां भी शामिल हैं. दरअसल बजट सत्र के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 21 लाख अवैतनिक कर्मचारियों को भुगतान करेगी।

पीएमएफबीवीई को 14,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएमएफबीवीई का मुख्य लाभार्थी निजी बीमा है। किसान नहीं हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन 2023-24 के संशोधित अनुमान से थोड़ा कम है। हालाँकि, इसकी प्रभावकारिता संदिग्ध प्रतीत होती है, रबी 2022-23 के दौरान 7.8 लाख किसानों को दावों में केवल 3,878 करोड़ रुपये की छोटी राशि का भुगतान किया गया है।इससे अधिकांश आवेदकों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने की योजना की क्षमता के बारे में संशय पैदा करती हैं।

हर समस्या के लिए एक समाधान वाला दृष्टिकोण भारत के विविध कृषि परिदृश्य के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि एनसीआरबी रिपोर्ट में दिखाया गया है 2019 के बाद से भूमिहीन कृषि श्रमिकों की मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई है। जबकि पीएम किसान सम्मान योजना कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की जरूरतों की अनदेखी की गई है, यहां तक कि जिन लोगों को इससे लाभ होना चाहिए था, उनके लिए भी आवंटन रुका हुआ लगता है। बजट और 2023-24 के संशोधित अनुमान और 2024-25 के अनुमान के बाद से इसके आवंटन में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

केंद्र सरकार के बजट में मुख्य रूप से पशुपालन, बायोमास उपयोग, वानिकी इत्यादि से जुड़े क्षेत्रों में कॉर्पोरेट क्षेत्र के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति रही है। लेकिन कॉरपोरेट्स को केवल मुनाफे की परवाह है, किसानों या स्थिरता की नहीं।

2019 के अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण से पता चलता है कि कृषकों या ग्रामीण परिवारों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग उतनी ही है जितनी 90 के दशक में थी।

सहकारी समितियों की जीवंतता को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को छोड़कर बहुत कम प्रयास किए गए हैं - सहकारी समितियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऋण की हिस्सेदारी अब कुल ऋण का 30% है, जो 10 साल पहले के आसपास 40% से अधिक हुआ करती थी। दिसंबर 2021 में, अमित शाह ने संसद को सूचित किया कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 बहु-राज्य सहकारी समितियां वित्तीय कुप्रबंधन के कारण बंद हो रही हैं।

इससे पहले, कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण और अप्रत्यक्ष ऋण के लिए उप-सीमाएं थीं। इन दोनों खंडों को 2015 में विलय कर दिया गया है जिससे बैंकों के लिए 18% कृषि लक्ष्य हासिल करना आसान हो गया है क्योंकि अब बने बनाये खाद्य उत्पादन उद्योग के लिए बड़े ऋण भी अब कृषि के अंतर्गत आते हैं।

RBI ने PSL मानदंडों को एक बार फिर संशोधित किया; इस बार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में स्टार्ट-अप (₹50 करोड़ तक), सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण और बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) की ऋण सीमा बढ़ा दी गई है। आरबीआई का बयान इन बदलावों को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि बदलाव "सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद, उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए किए गए हैं।" कोई नहीं जानता कि ये हितधारक कौन हैं, निश्चित रूप से किसान या कमजोर वर्ग तो नहीं हैं।

किसानों के लिए पेंशन योजना को आयु मानदंड के कारण बेहद अपर्याप्त माना गया, जिससे केवल कुछ ही लाभान्वित हुए।

कुछ मुख्य अंश

मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन उस पूंजीवादी नीति के खिलाफ एक लड़ाई थी जिसे भारतीय खेती का "1991 का उत्कृष्ट क्षण" कहा जा रहा था। । **विधेयकों ने किसानों को राज्य-विनियमित बाज़ार की मध्यस्थता के बजाय सीधे निजी निगमों के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया था** । सरकार को आख़िरकार लगभग 750 लोगों की मौत और एक साल तक चले उग्र आंदोलन के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 20 योजनाएं थीं, लेकिन अब केवल तीन ही चल रही हैं।पशुपालन मंत्रालय ने सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी और राष्ट्रीय डेयरी योजना-द्वितीय जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को खत्म कर दिया है। अब, 20 में से केवल तीन योजनाएं - कृष्णोन्नति योजना, कृषि सहकारी समितियों पर एकीकृत योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं।

किसानों के लिए ऋण की हकीकत

कृषि ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा उन महीनों में दिया जाता है जहां कृषि गतिविधियां सबसे कम होती हैं, (यानी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में) जबकि सबसे कम तब दिया जाता है जब कृषि गतिविधियों की बाढ़ आ जाती है। कृषि ऋण और कृषि में पूंजी निर्माण के बीच संबंध काफी कमजोर हो गया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 20 योजनाएं थीं, लेकिन अब केवल तीन ही चल रही हैं। पशुपालन मंत्रालय ने सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी और राष्ट्रीय डेयरी योजना- II जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को खत्म कर दिया है। अब, 20 में से केवल तीन योजनाएं - कृष्णोन्नति योजना, कृषि सहकारी समितियों पर एकीकृत योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं।

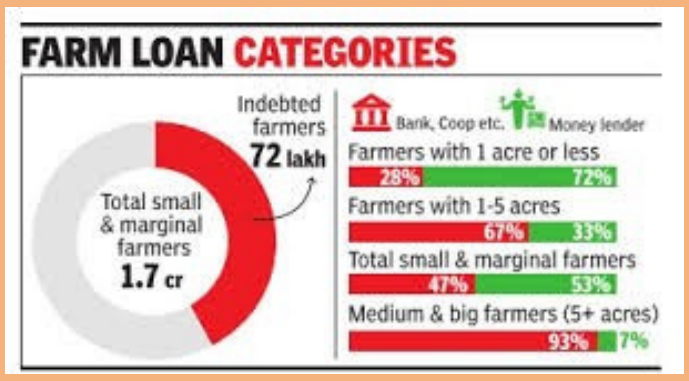

Source: *Insights IAS*

कृषि ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा उन महीनों में दिया जाता है जहां कृषि गतिविधियां सबसे कम होती हैं, (यानी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में) जबकि सबसे कम तब दिया जाता है जब कृषि गतिविधियों की बाढ़ आ जाती है। कृषि ऋण और कृषि में पूंजी निर्माण के बीच संबंध काफी कमजोर हो गया है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए आवंटित 40% ऋण के तहत, 18% कृषि ऋण के रूप में निर्धारित किया गया था। उस 18% कोटा के भीतर प्रत्यक्ष के लिए 13.5% और अप्रत्यक्ष ऋण के लिए 4.5% का अतिरिक्त उपविभाजन अब हटा दिया गया है। तो, उस पूरे 18% को बड़े निगमों को अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में वितरित किया जा सकता है, और तकनीकी रूप से उसे किसान को दिए गए ऋण के रूप में दर्शाया जा सकता है।

हाल के नियम अब बैंकों को अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या निजी बैंकों के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियो का व्यापार करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक सार्वजनिक बैंक लक्ष्य का 45% पूरा करता है जबकि दूसरा निजी बैंक 35% (40% लक्ष्य के साथ) पूरा करता है, तो सार्वजनिक बैंक अपने पोर्टफोलियो का 5% दूसरे के साथ व्यापार कर सकता है। यह बदलाव बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अधिक दबाव डालता है, जो कम मार्जिन वाले ऋण की पेशकश करते हैं, जबकि निजी बैंकों को न्यूनतम जनशक्ति खर्च के साथ लक्ष्य पूरा करने और मुनाफा बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

ग्रामीण शाखाओं की तुलना में अधिक से अधिक ऋण शहरी और महानगरीय शाखाओं (कुल ऋण का लगभग 1/3) के माध्यम से दिए जाते हैं।

जैसा कि यहां स्वीकार किया गया है, सरकार ने अपने 2019 घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार किसानों को 1 लाख तक कोई शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण प्रदान नहीं किया है।

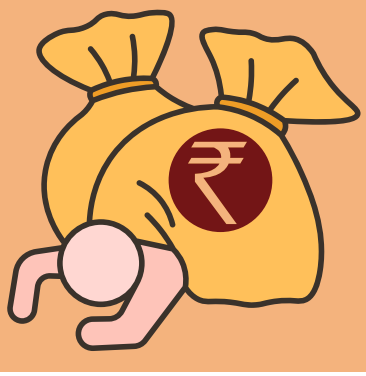

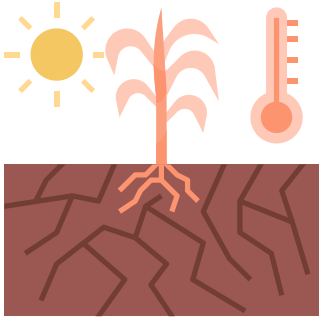

जलवायु संकट, जो नवउदारवाद के तहत दशकों के विकास उन्माद के कारण फिर से गहरा गया है, निराशा में डूबे किसानों के लिए एक और चुनौती बन गया है क्योंकि उन्हें गर्मी की लहरों, कम उपज और विनाशकारी चरम मौसम की घटनाओं के कारण फसल की विफलता का सामना करना पड़ रहा है।

यदि हमें मृत्यु के इस नृत्य को सुधारना है तो वित्तीय बोझ और विविध अनिश्चितताओं के साथ-साथ बढ़ती **मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत के संकट के खिलाफ निरंतर संघर्ष नीतियों में मौलिक बदलाव की मांग** करता है।जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, मुद्दे की जड़ों तक जाने के बजाय, **मृतक के परिवार को कार्योत्तर मुआवजा जैसे केवल दिखावटी उपाय ही काफी नहीं हैं।**

बढ़ती मुद्रास्फीति के मद्देनज़र, एमएसपी छोटे किसानों को कर्ज से बचाने में विफल रहा है। सरकार एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप करने और किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी 2014 की प्रतिज्ञा को पूरा करने से बहुत दूर है।

किसानों ने तीन कृषि बिलों की लड़ाई लड़ी।

खोखले वादों के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे किसान!!

अन्य रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ऊपर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:
https://bit.ly/BSofadecade

https://www.fanindia.net Financial Accountability Network
@_FANIndia Financial Accountability Network India - FAN India fanindia.info@gmail.com